रजि. सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 350] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 17, 1986/आषाढ़ 26, 1908
No. 350] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 17, 1986/ASADHA 26, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(नागरिक पूर्ति विभाग)

नई दिल्ली, 17 जुलाई, 1986

आदेश

सा. का. नि. 947(अ).—भारत का वनस्पति तेल उत्पाद नियंत्रक, वनस्पति तेल उत्पाद नियंत्रण आदेश, 1947 के खंड 14 के उपखंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय (नागरिक पूर्ति विभाग) द्वारा जारी किए गए आदेश सं. सा. का. नि. 460(अ) तारीख 31 मई, 1983 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, विनिर्दिष्ट करता है कि:

(क) किसी वनस्पति एकक द्वारा छोटे पैकों में अर्थात् 2 कि. ग्रा. और 5 कि. ग्रा. के टिनों में और उच्च घनत्व पोलीथीन के आधानों में या दोनों में किसी मास के दौरान वनस्पति के उत्पादन को इस प्रकार विनियमित किया जाएगा कि वह तेल वर्ष 1981-82 के दौरान ऐसे पैकों में वनस्पति के मासिक औसत उत्पादन के 90 प्रतिशत से अधिक न हो जाए; या

(ख) निम्न किसी भी श्रेणी के अधीन आने वाले किसी वनस्पति एकक द्वारा 2 कि. ग्रा. और 5 कि. ग्रा. के पैकों में वनस्पति के उत्पादन को इस प्रकार विनियमित किया जाएगा कि वह इसके मासिक वनस्पति उत्पादन के 15 प्रतिशत से अधिक न हो जाए;

(i) उपर्युक्त (क) के अधीन न आने वाले वनस्पति एकक; और

(ii) वे वनस्पति एकक जिन्होंने तेल वर्ष 1981-82 के दौरान 2 कि. ग्रा. और 5 कि. ग्रा. के पैकों में अपने मासिक उत्पादन का 15 प्रतिशत से कम वनस्पति का विनिर्माण किया है:

परन्तु यह कि भारत का वनस्पति तेल उत्पाद नियंत्रक, यदि उसका समाधान हो जाता है कि ऐसा करने के लिए पर्याप्त आधार हैं और उसके लिए कारणों को लेखाबद्ध करके वनस्पति के किसी विनिर्माता या विनिर्माताओं के वर्ग को इस आदेश के उपबंधों से, छूट दे सकेगा।

[सं. 13-वी. पी. (3)/82-खंड-2]

एस. वी. एम. त्रिपाठी,
भारत के वनस्पति तेल उत्पाद नियंत्रक

MINISTRY OF FOOD & CIVIL SUPPLIES

(Deptt. of Civil Supplies)

New Delhi the 17th July, 1986

ORDER

G.S.R. 947 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-clause (1) of clause 14 of the Vegetable Oil Products Control Order, 1947, and in supersession of the Order issued by Government of India in the Ministry of Food & Civil Supplies (Department of Civil Supplies) GSR No. 460(E) dated the

31st May, 1983 except in respect of things done or omitted to have been done before such supersession, the Vegetable Oil Products Controller for India hereby specifies that —

(a) the production of vanaspati by a vanaspati unit during any month in small packs of 2 Kg and 5 Kg both in tins as well as in high density polythene containers, shall be so regulated as not exceed 90 per cent of its average monthly production of vanaspati in such packs during the oil year 1981-82; or

(b) the production of vanaspati in 2 kg and 5 Kg packs by a vanaspati unit falling under either of the following categories shall be so regulated as not to exceed 15 per cent of its monthly vanaspati production :

(i) vanaspati units not covered by (a) above; and

(ii) vanaspati units as have manufactured vanaspati in 2 Kg packs less than 15% of its monthly production during the oil year 1981-82 :

Provided that the Vegetable Oil Products Controller for India may, if he is satisfied that there are sufficient grounds for so doing and for reasons to be recorded in writing, exempt any producer or class of producers of vanaspati from the provisions of this Order.

[No. 13-VP(3)|82-Vol.II]

S. V. M. TRIPATHI, Vegetable Oil Products Controller

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054. 1986